

पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2021

Polytechnic Entrance Competitive Examination- 2021

**मार्ग-निर्देशिका**

**2021**

**महत्वपूर्ण तिथियाँ**

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि	13.08.2021
ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि	02.09.2021
परीक्षा की तिथि	19.09.2021

**झारखण्ड सरकार**

**झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम-तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची - 10

Inquiry No.: 9264473893

Board's Website: - <http://jceceb.jharkhand.gov.in>

## विषय सूची

<u>क्र.सं.</u>	<u>विवरण</u>	—	<u>पृष्ठ सं.</u>
1.	परिचय	—	3
2.	अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम	—	3
3.	संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी	—	3
4.	प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता	—	3
5.	आवासीय अर्हता	—	3
6.	शारीरिक योग्यता	—	3
7.	आयु सीमा	—	3 - 4
8.	संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क	—	4
9.	आरक्षण	—	4 - 5
10.	पोलिटेकनिक प्रवेश प्र. परीक्षा - 2021 के प्रश्न पत्रों के प्रकार	—	5
11.	प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन	—	5
12.	परीक्षा केन्द्र	—	5
13.	आवेदन करने का तरीका	—	5 - 6
14.	आवेदन पत्र-सह-परीक्षा शुल्क	—	6
15.	आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश	—	6
16.	प्रवेश पत्र	—	6
17.	मेधा सूची का निर्माण	—	6-7
18.	पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्योग	—	7
19.	प्रथम साक्षात्कार	—	7
20.	द्वितीय साक्षात्कार	—	7
21.	साक्षात्कार संबंधी सभी नियमों एवं वांछित प्रमाण-पत्रों की जानकारी	—	7
22.	शाखा एवं संस्थान परिवर्तन	—	7
23.	साक्षात्कार शुल्क	—	7
24.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ	—	7 - 8
25.	साक्षात्कार/नामांकन के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ	—	8
	ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु चरणबद्ध निदेश	—	9 - 10
	"झारखण्ड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान	—	11 - 12
	झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप	—	13
	जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-(SC/ST) कोटि के लिए	—	14 - 15
	जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप (BC - I/ BC - II) कोटि के लिए	—	16 - 17
	Income & Assets प्रमाण- पत्र का प्रारूप (Economically Weaker Section) के लिये	—	18

# पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2021

## Polytechnic Entrance Competitive Examination - 2021

### मार्ग-निर्देशिका/ Prospectus

- परिचय :** झारखण्ड राज्य के राजकीय, गैर-राजकीय एवं पी.पी.पी. मोड पर संचालित डिप्लोमा अभियंत्रण संस्थानों, झारखण्ड गर्वनमेंट टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर, राँची/दुमका तथा केन्द्रीय इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी राँची के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सभी शाखाओं के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष में नामांकन, पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2021 के परीक्षाफल के आधार पर तैयार की गयी मेधा सूची से अभ्यर्थियों के मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर होगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा वर्षद्वारा आयोजित की जायेगी।
- अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम:** इसके अन्तर्गत राजकीय, गैर – राजकीय एवं पी.पी.पी. मोड पर संचालित डिप्लोमा अभियंत्रण संस्थानों, झारखण्ड गर्वनमेंट टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर, राँची/दुमका के अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं केन्द्रीय इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी राँची के सभी शाखाएँ सम्मिलित हैं।
- संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी:** सभी संस्थानों के अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम अन्तर्गत शाखावार एवं कोटिवार सीटों की उपलब्धता वर्षद्वारा वेबसाइट के Homepage पर Downloads कॉलम में देखी जा सकती है। यह विवरणी शैक्षणिक सत्र 2020-21 के आधार पर आधारित है जिसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची तथा उद्योग विभाग, राँची के आदेशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अद्यतन सीटों की जानकारी साक्षात्कार के समय दी जायेगी।
- प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :** आवेदक को माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा में 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- आवासीय अर्हता :** प्रवेश परीक्षा में वे ही आवेदक भाग ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्यभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का. – 3198, दिनांक 18.04.2016 में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु अधिसूचना की प्रति इस मार्ग-निर्देशिका के अनुसूची-‘क’ में अंकित की गई है तथा इसे वर्षद्वारा वेबसाइट के Homepage पर Act & Circular/Download कॉलम में भी देखा जा सकता है।  
आवेदक को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी {झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त} द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। “स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र” का प्रपत्र इस मार्ग-निर्देशिका के अनुसूची – ‘ख’ में देखा जा सकता है।
- शारीरिक योग्यता :** साक्षात्कार के माध्यम से अनुशासित अभ्यर्थियों को संस्थान में नामांकन के समय, निर्बंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा अयोग्य होने की स्थिति में संस्थान द्वारा नामांकन नहीं लिया जाएगा।
- आयु-सीमा :** अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित नहीं है। केवल खनन अभियंत्रण शाखा में प्रवेश हेतु परीक्षा वर्ष के 1 जुलाई को न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होना आवश्यक है।

8. संस्थान में नामांकन हेतु नामांकन शुल्क : संस्थान में नामांकन हेतु नामांकन शुल्क की राशि के संबंध में जानकारी, साक्षात्कार के समय, पर्षद या/और संबंधित संस्थान द्वारा दी जायेगी।

9. आरक्षण :

9.1 जाति आधारित आरक्षण : राजकीय पोलिटेकनिक (महिला सहित), पी0पी0पी0 मोड में संचालित पोलिटेकनिक, गैर-राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों एवं उद्योग विभाग झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ संचालित झारखण्ड गर्वमेंट मिनी टूल रूम एन्ड ट्रेनिंग सेन्टर, राँची एवं गर्वमेंट टूल रूम एन्ड ट्रेनिंग सेन्टर, दुमका में "टूल एवं डाई मेकिंग" पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अनुशंसा के लिये पर्षद द्वारा झारखण्ड राज्य में लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।

परन्तु आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में ही सक्षम पदाधिकारी [झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त] द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, साक्षात्कार/नामांकन के समय, मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत [झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त को छोड़कर] जाति प्रमाण-पत्र पर आरक्षण का दावा विचारणीय नहीं होगा (संदर्भ : का.प्र.सु. तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 7/आ0नि0-018-10/2003 का0 7072 दिनांक 30.12.2003 पत्रांक 14/जा0नि0-03-13/2015/का0, 1754 दिनांक 25.02.2019) तथा उनका आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जायेगा। वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में मान्यता दी जायेगी। अनुसूचित जनजाति कोटि के लिये निर्धारित सीटों में से न्यूनतम 2% सीटें आदिम जनजाति समूह के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित हैं, बशर्ते कि वे आवश्यक न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हों तथा अनुसूचित जनजाति कोटि की मेधा-सूची में स्वतः नहीं आते हों। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति कोटि के आरक्षण में क्षैतिज रूप से उपलब्ध होगा। अत्यंत

पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापंक 7/जाति-19-11/2008 का0-10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा तथा वे नामांकन से वंचित हो जायेंगे।

जाति प्रमाण-पत्र का विहित प्रपत्र मार्ग-निर्देशिका के अनुसूची- 'ग', 'घ' एवं 'ड.' में देखा जा सकता है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0- 5555 दिनांक 28.06.2016 के आलोक में 2 प्रतिशत सीट आदिम जनजातियों के लिये क्षैतिज आरक्षण के रूप में उपलब्ध होगा जो अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों से विनियमित होगा।

नोट : आरक्षण के दावे के संबंध में अपने कोटि के बारे में संतुष्ट हो लें। यदि कोई संशय हो तो अपने अंचल/अनुमंडल कार्यालय से सम्पर्क कर लें

9.1 सैन्य कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटें (एस.एम.क्यू.) : "A Guide to Resettlement of Ex-Service Men 1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement में दिये गये निर्देशों के अनुसार अधिसूचित सैन्यकर्मियों को ही यह सुविधा दी जायेगी।

सैन्य कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नांकित होगा :

1. कार्रवाई में मारे गए सैन्यकर्मी के विधवा/आश्रितों
2. कार्रवाई में अपंग हुए सेवारत तथा सेवा निवृत्त सैन्यकर्मी के आश्रितों
3. शांतिकाल में सैन्य सेवा के दौरान मरने वाले सैन्यकर्मी के विधवा/आश्रितों
4. शांति काल में सैन्य सेवा के दौरान अपंग हुए सैन्यकर्मी के आश्रितों
5. वीरता पदक प्राप्त सेवा निवृत्त सैन्यकर्मी तथा सेवारत सैन्यकर्मी के आश्रितों
6. सेवा निवृत्त सैन्यकर्मी के आश्रितों
7. सेवारत सैन्यकर्मी के आश्रितों

9.2.1 सैन्य कर्मचारी कोटा हेतु आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने हेतु सेवारत सैन्यकर्मियों/सेवा निवृत्त सैन्यकर्मियों के आश्रितों, दिवंगत सैन्यकर्मियों की विधवा तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ साक्षात्कार/नामांकन के समय प्रस्तुत करना आदेशात्मक है :-

क) झारखण्ड राज्य के अंचल पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक)/उपायुक्त द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र।

ख) सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवारत सैनिक कर्मियों/अधिकारियों के लिये) या जिला सैनिक परिषद् द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवा निवृत्त सैन्य कर्मियों के लिये)।

ग) सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)/पेंशन बुक।

9.3 निःशक्त अभ्यर्थियों (दिव्यांग-जन) के आरक्षण

निःशक्त अभ्यर्थियों (दिव्यांग-जन) के आरक्षण के लिये कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग राँची के ज्ञापांक-14/आ0नी0-04-05-2016 का0 2249/राँची दिनांक- 03.04.2018 का अनुपालन किया जायेगा। सभी पोलिटेकनिक संस्थानों के प्रत्येक शाखा में दिव्यांगों (किसी भी वर्ग) के लिये सीटें आरक्षित हैं। दिव्यांग का अभिप्राय होगा जैसे उम्मीदवार जो (क) अंधापन और कम दृष्टि या (ख) बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता या (ग) चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित हैं सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास या (घ) स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी या (ङ) बहु निःशक्तता जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है, के कारण कम से कम 40 प्रतिशत आंशिक असमर्थ हो। दिव्यांगों को साक्षात्कार के समय एक फुल साईज का अपना फोटो तथा चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्गत एवं चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति लाना होगा। दूसरे किसी

चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी। आवेदन पत्र में दिव्यांग के प्रकार को भरें।

ऑनलाईन आवेदन में सिर्फ अपना विकलांगता के प्रकार स्पष्ट करें।

9.4 अल-कबीर पोलिटेकनिक, मानगो, जमशेदपुर में मुस्लिम समुदाय कोटा (एम.सी.क्यू.) के लिये 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

9.5 निःशुल्क शिक्षा योजना : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), नई दिल्ली के प्रावधानानुसार प्रत्येक स्वीकृत संस्थान के प्रत्येक शाखा के कुल सीटों के 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के तहत जैसे अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जायेगी, जिनके पिता/माता/अभिभावक का सभी श्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख से कम है। इसके लिये उन्हें झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण-पत्र एक (1) साल के अन्दर का निर्गत होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत सभी सीटें अनारक्षित होगी, अर्थात् इन सीटों का आरक्षण से कोई संबंध नहीं होगा तथा सीटों का आबंटन मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर किया जायेगा।

10. पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा - 2021 के प्रश्न पत्रों के प्रकार : प्रश्न-पत्र द्विभाषी यथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे। प्रश्न पत्र बहु-विकल्प प्रकृति के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जायेगी। एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प देने पर उन्हें अमान्य कर दिया जायेगा तथा इसकी गणना गलत उत्तर के अन्तर्गत की जायेगी।

पोलिटेकनिक प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र के विषय, परीक्षा की अवधि, पूर्णांक, परीक्षा का स्तर इत्यादि निम्नलिखित है :

परीक्षा की अवधि-2 घंटे 30 मिनट (OMR आधारित परीक्षा आयोजन की स्थिति में)

(पूर्वाह्न 10.00 बजे से 12.30 बजे अपराह्न तक)

प्रश्न-पत्र के विषय	पूर्णांक	परीक्षा का स्तर	परीक्षा की तिथि
भौतिक विज्ञान	50	माध्यमिक	19.09.2021
रसायन विज्ञान	50		
गणित	50		

11. **पोलिटिकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन** : पोलिटिकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2021 एक चरण में आयोजित की जायेगी।

12. **परीक्षा केन्द्र** : परीक्षा राँची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो एवं डाल्टेनगंज जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केन्द्रों में होगी। परीक्षा केन्द्रों से संबंधित जिला मुख्यालयों की संख्या अपरिहार्य कारणवश पर्वद द्वारा घटाई जा सकती है।

13. **आवेदन करने का तरीका**: आवेदक को ऑनलाईन तरीके से आवेदन करना है।

पर्वद के वेबसाइट पर <http://jceceb.jharkhand.gov.in> पर "online Application for PECE – 2021" पर Click कर दिये गये दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करते समय माध्यमिक परीक्षा का अंक पत्र (उत्तीर्णता प्राप्त कर लिये हों तो), स्कैन किया हुआ हाल का फोटोग्राफ एवं स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर एवं स्कैन किया हुआ अंगूठे का निशान तैयार रखें। किसी भी अनिवार्य कण्डिका को खाली नहीं छोड़ें। **आवेदन पत्र का प्रिंट आउट पर्वद कार्यालय को नहीं भेजना है।** उसकी तीन-चार प्रिंट आउट रख लें, जिसकी भविष्य में जरूरत पड़ सकती है।

14. **परीक्षा शुल्क** : सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के आवेदकों को ₹ 650/- एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के महिला आवेदकों को ₹ 325/- परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है, जो अप्रतिदेय

(non refundable) होगा। सभी कोटि के दिव्यांगजनों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा गया है।

**ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र-सह-परीक्षा शुल्क जमा करने का तरीका :-**

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सारी जानकारियाँ समर्पित करने के उपरान्त परीक्षा शुल्क, पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जा सकता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/UPI की सुविधा दी जायेगी।

15. **आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश** : आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व मार्गनिर्देशिका को भली-भाँति पढ़ लें। गलत या अपूर्ण सूचना देने पर आवेदन को अस्वीकार/रद्द किया जा सकता है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन बाद में अनुमान्य नहीं होगा। फोटोग्राफ रंगीन होना चाहिए तथा चेहरे के साथ-साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। फोटोग्राफ संपादित (Edited) नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

16. **प्रवेश पत्र** : निर्धारित तिथि तक प्राप्त, पूर्ण रूप से भरे हुए, आवेदन-पत्र ही स्वीकार किए जायेंगे तथा परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश पत्र वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन डाउनलोड करने का विकल्प दिया जायेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का नाम, स्कैन फोटोग्राफ, जन्मतिथि, लिंग, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा केन्द्र, पता, अनुक्रमांक एवं उनका आरक्षण कोटि दर्ज रहेगा। ऑनलाईन प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि के चार (4) दिन पूर्व वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

**प्रवेश-पत्र नहीं मिलने या फोटो/लिंग/कोटि में त्रुटि संशोधन हेतु पर्वद द्वारा परीक्षा से संबंधित जारी विज्ञापन जरूर देखें तथा उसमें दिये गये निर्देशों का पालन करें।**

17. **मेधा सूची का निर्माण** : अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त मेधा सूची के साथ-साथ कोटि-वार मेधा सूचियों का निर्माण किया जायेगा।

पोलिटिकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2021 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा। इस प्रवेश परीक्षा में दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उनका मेधा क्रम निम्न प्रकार से निर्धारित किया जायेगा :

क्रम सं०	स्थिति	मेधा क्रम का निर्धारण
1.	प्राप्तांकों के जोड़ समान होने पर	गणित विषय में प्राप्तांक के अनुसार
2.	स्थिति - 1 समान होने पर	भौतिक विज्ञान विषय में प्राप्तांक के अनुसार
3.	स्थिति - 1 एवं 2 समान होने पर	जिनकी जन्म तिथि पहले हो
4.	स्थिति - 1, 2, एवं 3 समान होने पर	प्रथम नाम के अँग्रेजी वर्णाक्रमानुसार

18. पुनर्मुल्यांकन एवं पुनर्योग : उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मुल्यांकन, दुबारा जोड़ आदि का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार किया जायेगा।

19. प्रथम साक्षात्कार : प्रथम साक्षात्कार के संबंध में अद्यतन जानकारी झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ-साथ पर्षद के वेबसाईट के माध्यम से दी जाएगी।

20. द्वितीय साक्षात्कार : प्रथम साक्षात्कार के उपरांत यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो द्वितीय साक्षात्कार, उपर्युक्त की ही भांति, आयोजित किया जाएगा। इस साक्षात्कार में वैसे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, जो प्रथम साक्षात्कार के माध्यम से अनुशंसित संस्थानों में या तो नामांकन ले चुके हैं तथा फिर शाखा/संस्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं। इसकी सूचना झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं पर्षद के वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

21. साक्षात्कार सम्बंधी सभी नियमों एवं वांछित प्रमाण पत्रों की जानकारी हेतु सभी प्रमुख समाचार पत्रों के साथ-साथ पर्षद के वेबसाईट पर दी जायेगी।

22. शाखा एवं संस्थान परिवर्तन: इस तरह के सभी मामलों पर पर्षद की ओर से परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

“नामांकन की प्रक्रिया समाप्ति के बाद प्रथम वर्ष में संस्थान एवं शाखा परिवर्तन संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों के प्रमुख द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा नियंत्रक के निर्णय के प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी।”

23. साक्षात्कार शुल्क : इसके संबंध में विस्तृत जानकारी साक्षात्कार हेतु प्रकाशित की जाने वाली विज्ञापन के माध्यम से दी जायेगी।

24. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

24.1 परीक्षा संबंधी सभी कार्यों का संचालन, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से परीक्षा नियंत्रक करेगें एवं उनके द्वारा लिये गये सभी निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होंगें।

24.2 परीक्षा एवं साक्षात्कार संबंधी सभी अद्यतन जानकारी हेतु पर्षद के वेबसाईट के सम्पर्क में रहे।

24.3 इस मार्ग-निर्देशिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी संस्थान विशेष के संबंध में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं।

24.4 झारखण्ड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को इस मार्ग-निर्देशिका में सन्निहित नियमों/प्रावधानों/सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों या/और पर्षद के वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

24.5 अभ्यर्थी को नामांकन के समय प्रतियोगिता परीक्षा का, वेबसाईट से डाउनलोड किया गया, ऑनलाईन प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें।

24.6 यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी, पहचान इत्यादि किसी भी समय असत्य पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थित्व तुरंत निरस्त कर दिया जायेगा और उनके विरुद्ध झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत

कानूनी कार्रवाई की जायेगी, जिसमें कारावास तक का भी प्रावधान है।

24.7 कानूनी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में वाद के अंतिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन से वंचित रखा जायेगा। झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद के पक्ष में निर्णय होने पर पर्वद द्वारा वाद पर हुए सभी खर्च, ब्याज के साथ अभ्यर्थी से वसूल किया जा सकता है।

24.8 इस प्रतियोगिता परीक्षा के प्रक्रिया/आवेदन/आवंटन या अन्य किसी प्रकार के दावे से संबंधित विवाद केवल माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/राँची व्यवहार न्यायालय क्षेत्राधिकार के अन्दर ही दायर किए जायेंगे और वे ही मान्य होंगे।

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद के परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्वद वाद दायर कर सकेगा अथवा पर्वद के विरुद्ध दायर वाद में पर्वद का पक्ष रखा जा सकेगा।

24.9 ऑनलाईन साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को निम्नांकित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थियों को आवंटित सीट/शाखा/संस्थान में नामांकन नहीं लिया जायेगा।

1. माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (मूल या औपबधिक)।

2. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र— झारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र।

3. जाति प्रमाण पत्र— झारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-14/जा0नि0-03-13/ 2015/का0, 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में नये प्रारूप में उपरोक्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/जाति-19-11/2008 का.-10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के

अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

4. आय प्रमाण पत्र:— झारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी आय प्रमाण-पत्र (निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत आरक्षित सीट का लाभ लेने की स्थिति में मान्य होगा)।

5. आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र:—आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS) के आरक्षित सीटों का लाभ लेने हेतु झारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी आय एवं सम्पति प्रमाण।

6. दिव्यांगता प्रमाण पत्र:— दिव्यांग का अभिप्राय होगा जैसे उम्मीदवार जो (क) अंधापन और कम दृष्टि या (ख) बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता या (ग) चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित हैं सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास या (घ) स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और या (ड.) बहु निःशक्तता जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है, के कारण कम से कम 40 प्रतिशत आंशिक असमर्थ हो। दिव्यांगों को साक्षात्कार के समय एक फुल साईज का अपना फोटो तथा जिला अस्पताल के ऑर्थो-पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असेैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति लाना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण-पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

7. सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवारत सैनिक कर्मियों/अधिकारियों के लिये) या जिला सैनिक परिषद् द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवा निवृत्त सैन्य कर्मियों के लिये) तथा सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)/पेंशन बुक (सैन्य कर्मचारी कोटा के अंतर्गत आरक्षित सीटों का लाभ लेने की स्थिति में)।

25. साक्षात्कार के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ

25.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त ही, अपने दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र, संबंधित अंचल अधिकारी/अनुमण्डल/उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर लें।

25.2 नामांकन के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा Anti Ragging के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के आलोक में, सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों एवं उनके

अभिभावकों को, अपने-अपने आवंटित संस्थानों में, निर्धारित का प्रारूप पत्र के वेबसाइट पर Downloads कॉलम में प्रपत्र में शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र उपलब्ध है।

परीक्षा नियंत्रक

## ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु चरणबद्ध निर्देश

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व मार्ग-निर्देशिका का भली-भाँति अध्ययन कर लें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि आवेदन भरते समय न हो। आवेदन करते समय स्कैन किया हुआ हाल का रंगीन फोटोग्राफ, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर एवं बायें हाथ का अंगुठे का निशान तैयार रखें।

पत्र के अधिकृत वेबसाइट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर "Click Here for All Online Application Submission - JCECEB 2021" टैब पर Click करें उसके बाद "Polytechnic Entrance Competitive Examination (PECE) – 2021" link पर Click करें। Online आवेदन करने हेतु Online Application Process को तीन चरणों में विभक्त किया गया है :-

- Registration and Application Form filling
- Image Uploading
- Application Fee Payment
- प्रथम चरण (Registration and Application Form filling) – उपलब्ध आवेदन पत्र में माँगी गयी जानकारी को भरें :-
- **Personal Details** :- यथा- अपना नाम, Father's/Guardian's Name, Mother's Name, Date of Birth, Gender, Residential Status, Category (यदि General कोटि के अंतर्गत EWS कोटि में भी आते हैं तो EWS में Yes करें। अनुसूचित जनजाति कोटि के अन्तर्गत आदिम जनजाति समूह में भी आते हों तो, अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अपना आदिम जनजाति समूह में से अपना उप-जाति चुनें।), TFW, Person's with Disabilities, SMQ, Annual Family Income, MCQ, Aadhaar No., Choice of Examination Centres, e-mail Id और Mobile No. इत्यादि भर कर Save & Continue पर Click करें। Click करते ही आपके दर्ज Mobile No. में आपका Login Id और Password का मैसेज आयेगा।
- **Educational details** :- Academic Details भरना है, जैसे Passing Status, Name of the Board/University, Year of passing (अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में),

Obtained Marks, Total Marks, Obtained Marks Percentage (Marking system यदि ग्रेडिंग में हो तो CGPA दर्ज करें)

- **Comunication details** :: अपना Comunication Address भरें Disclaimer Clause को पढ़ें तथा चेक बॉक्स पर क्लिक करें तथा Save & Continue बटन पर Click करें।
- दिये गये निर्देशानुसार पासवर्ड बनायें। पासवर्ड बनायें जिसमें कम से कम एक Capital Letter, कम से कम एक Small Letter एवं कम से कम एक नम्बर अवश्य ही होने चाहिए एवं अपने बनाये गये पासवर्ड को किसी के साथ साझा (Share) न करें अन्यथा पासवर्ड के दुरुपयोग की जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी, एवं Security Code को भरें तथा Save & continue पर Click करें। आपके द्वारा दर्ज Mobile No. एवं ई-मेल पर User Id एवं Password प्राप्त होगा।

User Id एवं Password को भविष्य के लिए सुरक्षित लिखकर रख लें। दुबारा Login करने के लिए User Id एवं Password की आवश्यकता पड़ेगी।

- **द्वितीय चरण (Image Uploading)** :- JPG Format में स्कैन किया हुआ हाल का रंगीन फोटोग्राफ (15 KB to 100 KB), JPG Format में स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (10 KB to 30 KB) एवं JPG Format में स्कैन किया हुआ बायें हाथ का अंगुठे का निशान (10 KB to 50 KB) Upload करें। Document Upload: 10<sup>th</sup> या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र pdf Format में 100 KB से 200 KB तक का अपलोड करें। द्वितीय चरण पूर्ण होने पर आपका आवेदन पत्र का Preview दिखाई पड़ेगा। अपने भरे गये व्यौरे को पुनः जाँच लें तथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लें। यदि आप Edit करना चाहें तो Edit Application बटन पर Click कर Edit कर लें तथा Save & Continue पर Click करें।
- **तृतीय चरण :- Application Fee Payment :- Application Fee Payment :-** Payment पर Click करें। Payment पर Click करने के उपरान्त Bank Collect का स्क्रीन आयेगा। स्क्रीन पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

Successfully भुगतान करने के उपरान्त वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> पर "Polytechnic Entrance Competitive Examination (PECE) – 2021" link पर Click कर "Applicant login" पर Sign In कर अपना आवेदन पत्र Print कर लें तथा Print out निकाल कर सुरक्षित रख लें। प्राप्त आवेदन पत्र (confirmation page) को पर्सद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसकी उपयोगिता भविष्य में होगी।

अनुसूची - 'क'

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3138

18-04-2016

विषय : "झारखंड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान।

स्थानीय व्यक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाओं डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) 4056/2002 एवं 3912/2002 में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक 27.11.2002 को निरस्त कर दिया गया और "स्थानीय व्यक्ति" को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश गठित करने के मामले में सरकार से निर्णय लेने की अपेक्षा की गई।


2. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा एवं पहचान के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों से गहन विचार विमर्श के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड का स्थानीय निवासी वैसे भारतीय नागरिक को माना जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त पूरी करता हो, :-

- (i) झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परम्परा पर आधारित होगी।
- (ii) किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (iii) झारखंड राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी या उनकी पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

- (iv) भारत सरकार का पदाधिकारी / कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी / पति / संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (v) झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक (statutory) पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी / पति / संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (vi) ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।


आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


  
(निधि खरे)  
18.4.16

सरकार के प्रधान सचिव।


ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.-3198 / रांची, दिनांक 18-04-21  
प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.-3198 / रांची, दिनांक 18-04-21  
प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव, मुख्यमन्त्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.-3198 / रांची, दिनांक 18-04-21  
प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची - 'ख'

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या - 14/स्थानीयता नीति-14-03/2016 का0 4650, दिनांक 02 जून 2016 के आलोक में झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पिता/पति श्री ..... पता - ग्राम/वार्ड/शहर .....  
पो0 ..... थाना ..... जिला ..... के  
स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या - 3198 दिनांक 18.04.2016 की कंडिका - ..... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले  
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

## अनुसूची - 'ग'

प्रपत्र-4

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि .....  
पिता ..... पति .....  
(विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर ..... जिला/प्रमंडल .....  
राज्य/संघशासित प्रदेश ..... झारखंड राज्य में यथा  
अनुसूचित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन  
जाति/उपजाति के सदस्य हैं तथा ..... धर्म को माननेवाले हैं।

2 ..... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया  
झारखंड राज्य के ग्राम/नगर ..... जिला/प्रमंडल ..... में  
निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

- क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का गही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।
- ख. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये साक्ष्य प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :
- i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी
- ii) अचल अधिकारी
- ग. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथारंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखंड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 ।

स्थान .....  
तिथि .....

हस्ताक्षर .....  
पदनाम .....  
कार्यालय के शील सहित

प्रपत्र - IV

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that ..... Son/ Daughter of  
..... Wife of ..... (In case of married  
woman) of Village/ Town..... District/Division\* ..... of the  
State/Union Territory ..... belongs to ..... Caste/Sub-Caste  
under Scheduled Tribes/Schedule Caste which is approved as Scheduled Tribe/Caste for the State of Jharkhand  
and professes ..... Religion.

2. .... \* and/or\* his/her\* family ordinarily reside (s) in Village/Town\*  
..... District/Division\* of the State/Union Territory\* of Jharkhand.

3. This certificate is valid till further orders or till any change made in SC/ST caste list for Jharkhand  
State.

Note :

- (a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.
- (b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:
- (i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Executive Magistrate/ Assistant Collector and Assistant Magistrate
- (ii) Circle Officer
- (c) Caste/Sub Casts enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001, as amended by the fifth and sixth schedule under section 23 and 24 respectively of Reconstitution of Bihar Act, 2000 the Constitution of (Scheduled Castes) Amendment Order, 1950 and Amendment (Schedule Tribes) Amendment Order, 1950 and Schedule Castes and Schedule Tribes Order (Amendment) Act 2002.

Signature.....

Designation .....

Place .....

(with seal of office)

Date.....

## अनुसूची - 'घ'

प्रपत्र - 11

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि  
पिता ..... पति ..... (विवाहित  
महिला के मामले में) ग्राम/नगर ..... जिला/प्रमंडल .....  
राज्य/संघशासित प्रदेश ..... जाति के सदस्य हैं, जो  
झारखंड रिश्तियों और पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जगजाति तथा  
अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुरादी-1 और II)  
के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये ..... धर्म को माननेवाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार  
साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर ..... जिला/प्रमंडल .....  
में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्गिक एव  
प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय झापांक 36012/22/93-स्था (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.  
1993 की अनुरादी के स्तंभ-3 में उल्लिखित तथा कार्गिक, प्रशासनिक सुधार तथा  
राजभाषा विभाग के राकल्प सं 3482, दिनांक 10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन  
क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय झापन स 36012/22/93-स्था (एस.इ.टी.),  
दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रमाणित आवेदक तथा उसकी/उसके  
माता-पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत  
होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी  
अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या-15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता  
स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान .....  
तिथि .....

हस्ताक्षर .....  
पदनाम .....  
कार्यालय के सील सहित

प्रपत्र - XI

FORM OF NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/  
BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO STATE EDUCATIONAL  
INSTITUTIONS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that ..... Son/ Daughter of  
..... Wife of ..... (in case of married woman)  
of Village/ Town..... District/Division\* .....of the  
State/Union Territory .....belongs to the ..... Caste which  
is recognized as Backward Class under : Backward Class (Annexure-I/II) of Jharkhand Reservation of Vacancies  
and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act - 2001 \*\*\* and professes  
..... Religion.

2. ....\* and/or\* his/her\* family ordinarily reside (s) in Village/Town\*  
.....District/Division\* of the State/Union Territory\* of Jharkhand.

3. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/Sections (Creamy layer)  
mentioned in Column 3 of the Schedule to the OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 of Department  
of Personnel and Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative  
Reforms and Official languages vide Resolution No-3482 dated 10.06.2002.

4. This certificate is issued on the basis of declaration made by applicant and his/her parents in  
terms of rule of exclusion enumerated in OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 and is valid for one  
year from the date of issue. This certificate will, however, be valid if it is enclosed with current declaration of  
being non-creamy layer, for the financial year in which such declaration is made in the form-15 specified for the  
purpose

Signature.....

Designation.....

Place.....

(with seal of office)

Date.....

अनुसूची - 'ड'

परिशिष्ट-1

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

**INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS**

Certificate No. \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

VALID FOR THE YEAR \_\_\_\_\_

This is certify that Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_  
son/daughter/wife of \_\_\_\_\_ permanent resident of  
\_\_\_\_\_ village/Street \_\_\_\_\_ post Office  
\_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ in the State/Union  
Territory Economically Weaker Sections, since the gross annual income\* of his/her  
'family\*\* is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year  
\_\_\_\_\_. His/her family does not own or possess any of the following  
assets\*\*\*:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
  - II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
  - III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
  - IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ belongs to the \_\_\_\_\_  
caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-  
I/BC-II.

Signature with seal of office \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Recent Passport size  
attested Photograph  
of the applicant

\*Note1: Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

\*\*Note2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

\*\*\*Note3: The property held by a "Family" in different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.